न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती संजू शर्मा, आर.ए.एस.

अपील सं0 :–191 /2006

(223 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1. लक्ष्मनसिंह श्री प्रकाश,
2. रूपनारायण पुत्र श्री प्रकाश जाति चमार निवासी कान्हडका तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 ।

..... अपीलांटान

बनाम

1. जगदीश पुत्र चन्दर जाति चमार निवासी चांदपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 ।
2. कैलाश देवी पुत्री चन्दर जाति चमार निवासी माजरी तहसील तिजारा जिला अलवर राज0 – फौत –
   2/1. राजेन्द्र,
   2/2. सूरज पुत्रान कैलाश देवी निवासी माजरी तहसील तिजारा जिला अलवर ।
   2/3. रतन पुत्री कैलाश देवी जाति चमार निवासी ग्राम गोकलगढ़ तहसील रेवाड़ी (हरियाणा)
3. तहसीलदार कोटकासिम जिला अलवर राज0 ।

..... असल रेस्पो0

4. शांति देवी पत्नी प्रकाश जाति चमार निवासी कान्हडका तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 ।

..... तरतीबी रेस्पो0

उपस्थित :–

1. श्री जनार्दन अभिभाषक अपीलांट ।
2. असल रेस्पो0 सं0 1 व 2 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये ।
2. श्री विनोद कुमार यादव राजकीय अभिभाषक असल रेस्पो0 सं0 3

::: निर्णय :::

दिनांक :– 10.3.17

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम के निर्णय व डिक्री दिनांक 4.8.2006 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा इस्तकरारहक व हुक्म ईम्तनाई दवामी इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम कान्हड़का में स्थित आराजी हाल ख0 नं0 1621 रकबा 3 बीघा, 2023 रकबा 3 बिस्वा, 2030 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा वादनी नं0 1 के पति व वादी सं0 2 व 3 के पिता प्रकाश व वादीगण के ससुर व दादा हबडू को 2/3 भाग व मृतक थावरिया पुत्र नानगा को 1/3 भाग आवंटित हुई थी । वादीगण उक्त विवादित आराजी पर शुरू से ही काबिज काश्त हैं तथा शांतिपूर्व काश्त करते चले आ रहे हैं । विवादित भूमि का खातेदार थावरिया बिला औरत बिला संतान फौत हो गया । वादीगण ने उसके शुद्ध दिन किये व समस्त अंतिम क्रियाऐं सम्पन्न करी । वादीगण ही बरवक्त आवंटन से विवादित आराजी पर काबिज काश्त हैं तथा तन्हा रूप से काबिज होकर काश्त कर रहे हैं । वादीगण कानूनन मृतक थावरिया की विरासत के अधिकारी हैं । वादीगण के अलावा मृतक थावरिया के कोई वारिस नहीं हैं । वादीगण ने मृतक थावरिया उर्फ थावरराम की मृत्यु दि0 2.12.98 को होने के बाद उसका मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त किया व प्रतिवादी सं0 3 तहसीलदार कोटकासिम से विरासत का इन्तकाल दर्ज करने का निवेदन किया । प्रतिवादी सं0 1 व 2 प्रतिवादी सं0 3 से मिले हुए होने के कारण प्रतिवादी सं0 3 ने विरासत इन्तकाल वादीगण के हक में खोलने से इन्कार किया । इसलिए वादीगण को मृतक थावरिया के 1/3 भाग की भूमि का रेकार्डेड खातेदार घोषित किया जावें । प्रतिवादीगण ने धमकी दी कि विवादित आराजी को स्वयं के नाम विरासत इन्तकाल दर्ज करवा लेगें । अतः वाद वादीगण डिक्री फरमाने का निवेदन किया । विद्वान तहत न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब दावा मियाद के पश्चात् प्रस्तुत किया जो रेकार्ड पर नहीं लिया गया । विद्वान तहत न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर दि0 4.8.2006 को वादी का वाद खारिज कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दि0 4.8.2006 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत किया ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया लेकिन रेस्पो0 सं0 1 व 2 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये । तहत न्यायालय ने अपीलांट व राजकीय अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में निवेदन किया कि अपीलांट/वादीगण एवं तर0 रेस्पो0 वादनी मृतक थावरिया की आराजी का विरासत का इन्तकाल उसे जायज व विधिक वारिसान के नाम दर्ज व मंजूर कराने के कानूनन अधिकारी हैं । मृतक थावरिया की आवंटनशुदा आराजी पर शुरू से ही काबिज काश्त हैं तथा जायज वारिस काबिज जायदाद हैं । मृतक थावरिया अपीलांट व तर0 रेस्पो0 के साथ ही रहता था जो राशनकार्ड की फोटो प्रति से जाहिर है । रेस्पो0 ने कोई जवाब दावा व दस्तावेजी साक्ष्य तहत न्यायालय में पेश नहीं की । हमारे द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से विवादित आराजी मृतक थावरिया के स्वर्गवास उपरान्त अपीलांट व तर0 रेस्पो0 को विरासत में प्राप्त होना पूरी तरह से साबित था । इन्तकाल की कार्यवाही एक समरी प्रोसिडिंग है जिससे तहत अदालत के समक्ष विचाराधीन नियमित वाद पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ता है । विवादित आराजी अपीलांट व तर0 रेस्पो0 को मृतक थावरिया की विरासत में प्राप्त हुई है । अपीलांट अपने अधिकारों की रक्षार्थ अपने आपको विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का पूर्ण अधिकारी है । रेस्पो0 का विवादित आराजी से कोई संबंध व सरोकार नहीं है लेकिन गलत तथ्यों के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर

Scanned by CamScanner

आधार पर तहत न्यायालय ने अपना निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्त योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

विद्वान राजकीय अभिभाषक असल रेस्पो0 सं0 3 ने बहस में निवेदन किया कि मृतक थावरिया की आराजी से अपीलांट का कोई संबंध व सरोकार नहीं है । मृतक थावरिया के अपीलांट विधिक वारिस नहीं है । तहत न्यायालय ने विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पारित की है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है । इसलिए अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया ।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । विद्वान तहत न्यायालय में प्रतिवादीगण ने जो जवाब दावा प्रस्तुत किया था वह मियाद पश्चात् प्रस्तुत होने के कारण नम्बर पर नहीं लिया गया जबकि कानूनन किसी पक्षकार द्वारा कोई जवाब दावा प्रस्तुत किया जाता है उसे नम्बर पर तहत न्यायालय को लिया जाना चाहिए था । प्रतिवादी द्वारा किसी वसीयत को आधार माना जा रहा है जबकि रेकार्ड पर ऐसी कोई वसीयत उपलब्ध नहीं है । विद्वान तहत न्यायालय को यह जानकारी करनी चाहिए थी कि वर्तमान में विवादित आराजी किसके पास है । क्या मृतक थावरिया की आराजी सरकार के कब्जे में चली गयी हैं अथवा नहीं ? वादीगण / अपीलांट द्वारा दावा दि0 25.9.2004 को प्रस्तुत किया है जिसमें वारिसान की जांच कर नामान्तकरण बाबत प्रार्थना पत्र दि0 30.7.2004 जो पत्रावली पर है, ऐसे में दौराने वाद इस तथ्य की विवेचना की जानी थी कि ग्राम पंचायत / तहसीलदार द्वारा नामान्तकरण क्यों नहीं खोला गया । यदि अधीनस्थ न्यायालय भू–राजस्व अधिनियम की धारा 135 के तहत उज्रदारी बाबत निर्णय को ही उचित मानते तो उन्हें रेकार्ड पर उपस्थित प्रार्थना पत्र को प्रशासनिक आदेश के तहत तहसीलदार को अग्रेषित करते हुए आगामी कार्यवाही के आदेश देकर अपील खारिज करनी थी । इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है और प्रकरण तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का मोहताज है ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम के निर्णय व डिक्री दिनांक 4.8.2006 निरस्त की जाती है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपर दिये गये ऑब्जरवेशन के आधार पर दोनों पक्षों को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः निर्णय पारित करें । खर्चा अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 10/3/17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर

Scanned by CamScanner